भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3472

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात निर्यात में गिरावट

3472. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष-दर-वर्ष इस्पात निर्यात में गिरावट में योगदान देने वाले कारकों के संबंध में विश्लेषण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उद्योग के समक्ष आने वाली निर्यात चुनौतियों का समाधान करने और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) ये कदम किस सीमा तक सफल रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ड.): विगत दो वर्षों और अप्रैल-नवंबर 2024-25 (अनंतिम) में कुल तैयार इस्पात के समग्र निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:-

निर्यात तैयार इस्पात	
वर्ष	**मात्रा (एमएनटी में)**
2022-23	6.72
2023-24	7.49
अप्रैल-नवंबर 2024-25*	3.15
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमएनटी = मिलियन टन; *अनंतिम	

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। इस्पात का निर्यात वैश्विक बाजार परिस्थितियों, मांग और आपूर्ति, लौह अयस्क, कोकिंग कोल आदि जैसे इनपुट कच्चे माल की लागत जैसे कारकों पर निर्भर करता है, जो बाजार से जुड़े होते हैं। सरकार नियमित रूप से निर्यात, आयात, कीमतों आदि सहित समग्र इस्पात परिदृश्य की निगरानी करती है।

जारी...2

भारत के इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. केंद्रीय बजट 2024-25 में, फेरो -निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों और सांन्द्रणों जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल हैं, पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ii. सीआरजीओ इस्पात के विनिर्माण के लिए फेरस स्क्रैप और विशिष्ट कच्चे माल पर बीसीडी छूट दिनांक 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

iii. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन किया गया। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिसमें विशेष इस्पात के लिए लगभग 24 मिलियन टन (एमटी) की डाउनस्ट्रीम क्षमता का निर्माण शामिल है।

iv. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का कार्यान्वयन किया गया।

*****